निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)125/संस्था/बीमा/2019/ दिनांक : 21-05-2019

-:आदेश:- 65

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(ए)125/संस्था/बीमा/2014/1256 दिनांक 03.03.2014 के परिप्रेक्ष्य में अवकाश स्वीकृत करने/सेवा पुस्तिकाओं के संधारण के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते हैं :

राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, खण्ड-प्रथम के नियम 134 सेवा पुस्तक/सेवा पंजिका का संधारण :-

(1) समस्त सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं/सेवा पंजिकायें कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रारूप जी.ए.36 एवं प्रारूप जी.ए.37 में संधारित की जायेंगी। कार्यालय अध्यक्ष की सेवा पुस्तिका प्रादेशिक अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जायेंगी तथा प्रादेशिक अधिकारी की सेवा पुस्तिका विभागाध्यक्ष के कार्यालय में संधारित की जायेंगी। विभागाध्यक्ष की सेवा पुस्तिका प्रशासनिक विभाग में संधारित की जायेंगी तथा अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की सेवा पुस्तिकायें कार्मिक विभाग क-1 में संधारित की जायेंगी।

(2) प्रादेशिक अधिकारी/विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष यह देखेगा कि प्रविष्टियां विधिवत की गई हैं और उन्हें अनुप्रमाणित कर दिया गया है एवं पुस्तिका में कोई खरोच(इरेजिंग)या उपरिलेखन (ओवरराईटिंग) नहीं किया गया है, सभी शुद्धियां स्वच्छतापूर्वकर की जाकर उन्हें अनुप्रमाणित किया गया है।

(3) सेवा पुस्तिकायें/सेवा पंजिकाएं का एक रजिस्टर प्रपत्र जी.ए. 190 में संधारित किया जायेगा।

अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियां

अध्ययनार्थ अवकाश के अतिरिक्त सभी प्रकार के अवकाश राजस्थान सेवा नियम पार्ट-2 का नियम 7(6)के परिशिष्ठ 9 की क्रम संख्या 22 के अनुसार स्वीकृत किये जायेंगे।

अध्ययन अवकाश : अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अध्ययन अवकाश राजस्थान सेवा नियम 1951 के अध्याय-XI सेक्शन-VI के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष के स्तर पर ही नियमानुसार स्वीकृत किया जा सकेगा।

कृपया उक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(आनन्द स्वरूप),
निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

D:\shailesh\2019\F(1)A\125\order 13-05-2019.docx